न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 138/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक– 111, दिनांक– 27.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, पुटकी को भेजा गया। अंचल अधिकारी, पुटकी के पत्रांक– 79, दिनांक – 15.02.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक जानु महतो, पिता– स्व0 शिवनाथ महतो, साकिम– परसिया, पो0– कुसुण्डा, थाना– पुटकी, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– परसिया, मौजा नं0– 84, पुराना खाता नं0– 1, पुराना प्लॉट नं0– 262, 264, नया खाता नं0– 08, नया प्लॉट सं0– 299, 312, क्रमशः रकवा– 06+08= 14 डिसमील भूमि क्रेता श्रीमती सुजाता महतो, पति– मनोज कुमार महतो, साकिम– शास्त्री नगर, मुनिडीह, पो0– मुनिडीह, थाना– पुटकी, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– पुटकी, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 11.63 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:34:01 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner